

14.09.23

नोटिस का तामिला प्राप्त है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया।

अंचल अधिकारी सरिया द्वारा मौजा-बागोडीह में स्थित खाता सं०-111, प्लॉट नं०-52, रकवा-6 डी० गैर मजुरुवा खास की भूमि है जिसकी जमाबंदी श्रीमती दोमिया देवी के नाम से कायम है। उक्त जमाबंदी सादा हुक्मनामा के आधार पर बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के आधार पर वर्ष 1999-2000 में कायम की गई है एवं पंजी-II में लगान रसीद की प्रविष्टि वर्ष 1999 में की गई है।

अंचल अधिकारी सरिया के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों से यह जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति करना है। अतः बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रतर कार्यवाई हेतु अपर समाहर्ता, गिरिडीह को भेजें।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया

अनुमंडल पदाधिकारी,
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)